तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए/2004/ 4195 /चुरू हनुमानाराम बनाम भोमराज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/05/26	एकल–पीठ श्री केसर लाल मीणा, सदस्य ——— उपस्थित : श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थी । अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। ——— आदेश 1– हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 1/2004 में पारित आदेश दिनांक 04–09–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी याचिका अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी अप्रार्थी संख्या–1 ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी रतनगढ़ के समक्ष पेश किया और साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी/प्रार्थी को जरिये सम्ततन तलब किया, जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ ने पक्षकारान की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर निर्णय दिनांक 26.12.2003 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को स्वीकार कर प्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इसके विरुद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की। उक्त अपील को न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04–09–2004 से खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– समुचित व पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत अप्रार्थी अनुपस्थित रहा, जिस पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त का अहम बिन्दु है। चूंकि दानाराम ने अपने जीवनकाल में दी वादग्रस्त भूमि अपने तीनों पुत्रों के मध्य बराबर विभाजित कर दी एवं उक्त हुये पारीवारिक विभाजन के अनुसार तीनों भाई अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज हुए तथा भंवरलाल ने अपने हिस्से एवं कब्जे में आई भूमि में से 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि विकय कर दी, जिसका कब्जा प्रार्थी के पास है एवं 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2002	

को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भंवरलाल जी के वारिसान से प्राप्त की अर्थात् सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से लगभग 20 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उक्त 20 बीघा भूमि जो खसरा नं. 773 की है जिस पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा वरन् मौके पर प्रार्थी की फसल काश्त की हुई है एवं प्रार्थी का एक सीमेंट का कुण्ड बना हुआ है एवं दूसरा कुण्ड मिट्टी से बना हुआ है, के बावजूद दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संबंधी बिन्दुओं पर बिना विवेचन किये काबिज खातेदार प्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में घोर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, के विरुद्ध मात्र इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के लिए स्ट्रेन्जर पर्चेजर (अजनबी केता) है एवं अजनबी केता बिना विभाजन कराये वादग्रस्त भूमि में कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है जबकि प्रार्थी ना तो कोई अजनबी केता है ना ही ऐसी कोई बात है उसने वादग्रस्त खेत को सप्रतिफल रूपये देकर खरीद किया है और उक्त भूमि को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है क्योंकि भूमि उसने स्व. भंवरलाल के वारिसों से खरीद की है। किसी भी खातेदार को अपना हिस्सा बेचने का कानूनी अधिकार है, उसे किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ना ही उस पक्षकार के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है बावजूद उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर भारी त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने उक्त अविधिक निर्णय को यथावत रखने में भूल की है। अतः प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 04.09.2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के निर्णय दिनांक 26.12.2003 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों सहित आक्षेपित निर्णयों का भी आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण स्व. दानाराम के वंशजों के हिस्से की भूमि से संबंधित है। दानाराम के रामचन्द्र, मौलखराम एवं भंवरलाल तीन पुत्र हुए और जिनकी खसरा नं. 773, 698, 699 एवं 784 में तीनों भाइयों की खातेदारी अंकित थी। इन खेतों का तीनों भाइयों के बीच कभी कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। विधिक रूप से मान्य विभाजन न होते हुये भी खेत खसरा नं. 784 रकबा 17.05 बीघा भूमि वर्ष 1980 में भंवरलाल द्वारा कृष्णगोपाल को विक्रय की तथा इसी खेत को वर्ष 1982 में प्रार्थी हनुमानाराम ने खरीद लिया और प्रार्थी के नाम खातेदारी अंकित है। शेष बचे तीनों खेत खसरा नं. 773, 698, 699 में से स्व. भंवरलाल के वारिसान के अपने हिस्से 6.01 बीघा में से 5/11 हिस्सा यानी 2.15 भूमि बिना विधिवत विभाजन करवाये प्रार्थी हनुमानाराम को विक्रय कर दी है। जिसके खिलाफ वादी/अप्रार्थी संख्या–1 ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी रतनगढ़ के समक्ष पेश किया और साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निगरानी / टीए/2004/ 4195 /चुरू
हनुमानाराम बनाम भोमराज

प्रार्थी/प्रतिवादी ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 04–09–2004 द्वारा खारिज कर दिया। इस प्रकार उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समान निष्कर्षों पर आधारित है। प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश कर पुनः उन्हीं तथ्यों को उठाया गया है, जिनका पूर्व में निस्तारण हो चुका है। चूंकि प्रार्थी द्वारा निगरानी के माध्यम से ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे उक्त समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2007 पेज 587, गणेश बनाम राज. राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समान निष्कर्षों पर आधारित अपने निर्णय दिये गये है, वहां ऐसे समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में प्रार्थी द्वारा निगरानी के माध्यम से उक्त समवर्ती निर्णयों के खण्डन में कोई सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

7– परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/05/26

(केसर लाल मीणा)
सदस्य